न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरूका बनाम किशोरी s/o बुद्धा जाट
खेडलीतर्फरैला

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

निर्णय दिनाँक :- 26/3/19

प्रकरण सँख्या - 82/18/RA

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेडलीतर्फरैला की आ.ख.न. 160 कुल रकबा 0-09 किस्म जमीन गै०मु० मरघट में से 0-01 रकबे पर श्री किशोरी s/o बुद्धा जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर छप्पर/लकडी कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरूका द्वारा दिनाँक 27/8/2018 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दरौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी किशोरी/बुद्धा जाट जाति जाट निवासी खेडलीरैला को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश नहीं किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 160 रकबा 0-09 में से 0-01 रकबे किस्म गै०मु०मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6paise का 50 गुणा 3/- (Three Rs) रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरूका भू.अ.निरी. दरौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. E को पालनार्थ
परमापरी जमल पेश हो